रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 27] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934 [N.C.T.D. No. 270

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति सदस्यों के सहयोजन के चुनाव का परिणाम

सं. एफ. 1/8/2013/गु.चु.नि./710.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (iii) के अन्तर्गत, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 5 के उप-नियम (3) के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, स. गुरमित सिंह लोबाना पुत्र स. इन्दर सिंह, निवासी सी-207, आनंद लोक सोसाइटी, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर के नामित, को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य हेतु के सहयोजन की घोषणा की जाती है ।

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th February, 2013

Result of Election for Co-option of Member to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee

No. F. 1/08/2013/DGE/710.—In pursuance of the provisions of sub-clause (iii) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 (82 of 1971) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Members) Rules, 1974, S. Gurmit Singh Lobana, S/o S. Inder Singh, resident of C-207, Anand Lok Society, Mayur Vihar-I, Delhi-110091, a nominee of Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar is declared as co-opted as a member of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee.

सं. एफ. 1/8/2013/गु.चु.नि./711.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (iv) के अन्तर्गत, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 15 और 38 के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के सहयोजन हेतु निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है :—

1. श्री कुलमोहन सिंह
   1865, दूसरी मंजिल, वजीर सिंह मार्ग,
   चुना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55

2. श्री सुरजीत सिंह
   3542, निकलसन मार्ग,
   मोरी गेट, दिल्ली-06

सं. एफ. 1/8/2013/गु.चु.नि./711.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (iv) के अन्तर्गत, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 15 और 38 के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के सहयोजन हेतु निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है :—

1. श्री कुलमोहन सिंह
   1865, दूसरी मंजिल, वजीर सिंह मार्ग,
   चुना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55

2. श्री सुरजीत सिंह
   3542, निकलसन मार्ग,
   मोरी गेट, दिल्ली-06

No.F. 1/08/2013/ DGE/711.—In pursuance of the provisions of sub-clause (iv) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 (82 of 1971) read with Rule 15 and 38 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Members) Rules, 1974, the following are declared duly elected to be co-opted as members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee:—

1. S. Kulmohan Singh
   1865, 2nd Floor, Wazir Singh Street,
   Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi - 55

2. S. Surjeet Singh
   3542, Nicholson Road,
   Mori Gate, Delhi - 06

सं. एफ. 1/8/2013/गु.चु.नि./712.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (ii) के अन्तर्गत, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 5 के उप-नियम (2) के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, चार अकाल तखत साहिब के निम्नलिखित मुख्य ग्रंथियों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के सहयोजन की घोषणा की जाती है :—

1. ज्ञानी गुरब्बचन सिंह
   मुख्य ग्रंथी,
   श्री अकाल तखत साहिब,
   अमृतसर (पंजाब)

2. ज्ञानी तरलोचन सिंह
   मुख्य ग्रंथी
   श्री तखत केशगढ़ साहिब,
   आनंदपुर (रोपड)

3. ज्ञानी इकबाल सिंह
   मुख्य ग्रंथी
   श्री तखत पटना साहिब,
   पटना (बिहार)

4. ज्ञानी कुलवंत सिंह
   मुख्य ग्रंथी
   श्री तखत हजूर साहिब,
   नांदेड़, महाराष्ट्र

जी. पी. सिंह, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव

No.F.1/08/2013/ DGE/712.—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 (82 of 1971) read with sub-rule (2) of Rule 5 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Members) Rules, 1974, the following Head Priests of the four Akal Takhat Sahibs are declared to be co-opted as members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee:—

1. Giani Gurbachan Singh
   Head Priest,
   Sri Akal Takhat Sahib,
   Amritsar (Punjab)

2. Giani Tarlochan Singh
   Head Priest,
   Sri Takath Kesgarh Sahib,
   Anandpur (Ropar)

3. Giani Iqbal Singh
   Head Priest,
   Sri Takhat Patna Sahib,
   Patna (Bihar)

4. Giani Kulwant Singh
   Head Priest,
   Sri Takhat Hazur Sahib,
   Nanded, Maharashtra

G. P. SINGH, Director, Gurdwara Elections

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

सं. फा. 9(13)/2008/सीसी/योजना/पार्ट-III/1072.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.9.68 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68–डी एच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :–

(i) इस सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों में उप–निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है, तथा;

(i) दिनांक 03.2.2009 की अधिसूचना संख्या सं0फा0 9(20)/डीडी/आरआर/2006/सीसी/योजना/1559 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों में उप–निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुलग्नक-1

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, में पे बैंड–3 में ग्रेड पे 6600/–रुपये सहित 15,600–39,100/–रुपये के वेतनमान में उप–निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड पे (रुपये) सहित वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
उप–निदेशक (योजना/सांख्यिकी)	18*	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अपिलिपिकीय	पे बैंड–3 15,600–39,100/–रुपये (ग्रेड पे 6600/–रुपये)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं #

*(2012) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।

 # कॉलम 6 के अन्तर्गतः

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

टीपः आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पागी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी / कार्यात्मक अनुसंधान / अंकगणित सांख्यिकी / अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या अंकगणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातोकोत्तर उपाधि (सांख्यिकी प्रमात्रा पद्धति / तकनीक या लागत एवं सांख्यिकी / मूलभूत सांख्यिकी / व्यवसाय सांख्यिकी / सांख्यिकी की प्रस्तावना इत्यादि स्नातोकोत्तर / स्नातक स्तर में एक विषय / पेपर सहित के रूप में हो) । (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विभाग से सांख्यिकी / योजना कार्य अन्वेषण / अनुसंस्थान में पाँच वर्ष का अनुभव टीप–1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप–2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। <u>वांछनीय</u> (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक योग्यता (i) में उल्लिखित किसी एक विषय में डॉक्टरेट डिग्री।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताः नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिये एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 75प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा । (ii) 25प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नतिः– पे बैंड–3 में 5400/–रुपये ग्रेड पे सहित 15,600–39,100रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक निदेशक (योजना / सांख्यिकी)। नोट 1 :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। नोट 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</u> केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों /अर्धसरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारीः– क. (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में 5400/–रुपये ग्रेड पे सहित 15,600–39,100रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित; (iii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 4800/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34,800रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित या समकक्ष; (iv) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 4600/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34,800रू0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित या समकक्ष; (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। नोट 1: मरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे) नोट 2: (प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (आईएसटीसी) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

			नोट 3: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव(योजना)/सचिव योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य 4. अनु0जा0/अनु0जन0 समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त सचिव से कम रैंक का न हो — सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (अल्कालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. बी. के. शर्मा, निदेशक (योजना)

PLANNING DEPARTMENT
(Cadre Controlling Unit)
NOTIFICATION
Delhi, the 13th February, 2013

No.F. 9(13)/2008/CC/Plg/Pt-III/1072.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F 24/78/68-DH (S) dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to:-

i) make the rules in the schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Dy. Director(Plg./Stat.) in various offices/departments under this Government; and

ii) cancel the Recruitment Rules for the post of Dy. Director(Plg./Stat.) in various offices/departments under this Government notified vide notification No. F.9 (20)/DD/RR/2006/CC/Plg./1559 dated3rd February, 2009.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Dy. Director(Plg./Stat.), Planning Department in the Scale of pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 6600/- in Pay Band-3 in the Govt. of NCT of Delhi, Delhi

Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay scale	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Plg/Stat.)	18 @	GCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	PB-3 Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.6600/-)	Selection	Not Exceeding 40 years $

@ (2012) Subject to variation dependent on workload

($) Under Column 6:
Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub- division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).

582 DG/13-3

Educational & other qualifications required for Direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the posts to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: (i) Post Graduate Degree in Statistics/ Operational Research/ Mathematical Statistics/ Applied Statistics or Post Graduate Degree in Economics/Mathematics/ Commerce (with Statistics/Quantitative Method/Techniques or Costing & Statistics/Basic Statistics /Business Statistics/Introduction to Statistics etc. as one of subject/papers in Post Graduation/Graduation level) of a recognized University. (ii) Five years experience of Statistical/ Planning work investigation/ Research in a recognized Institute or Department. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Doctorate Degree in any one of the subjects mentioned in EQ (i) from a recognized University.	Age : No E.Q. : No	1 years for Direct Recruits	i) 75% by promotion failing which by Deputation (ISTC). ii) 25% by Direct Recruitment.

In case of Recruitment by promotion / deputation/absorption grades from which promotion /deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion : Asstt. Director (Plg/Stat.) in the Scale of Pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-3 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note:1** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note:2** For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the Revised Pay Structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **<u>Deputation (Including short-term contract):</u>** Officers under the Central/State Govts./Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi Government/ Statutory or Autonomous Organizations- A(I) Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre/ Department; or (II) With 05 years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Scale of Pay of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- in Pay Band-3 or equivalent in the Parent Cadre/Department; or (III) With 06 years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Scale of Pay of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- in Pay Band-2 or equivalent in the Parent Cadre/Department; or (IV) With 07 years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Scale of Pay of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/-	**Group 'A' DPC (for considering both - Promotion & confirmation)** 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi. - Chairman 2. Principal Secretary(Plg)/ Secretary (Plg) in the Govt. of NCT of Delhi. - Member 3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi. - Member 4 . An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Joint Secretary in Govt. of N.C.T. of Delhi. - Member	Consultation with UPSC is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (ISTC).

In Pay Band-2 or equivalent in the Parent Cadre/Department; and (B) Possessing the Educational Qualifications and Experience prescribed for Direct Recruits under Col. 7. **Note: 1**-The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. **Note: 2**- (Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note: 3**- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the Revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
Dr. B. K. SHARMA, Director (Planning)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.